

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक:- 124213 (माँ) ग्रा0वि0, पटना, दिनांक:- 27-09-12
ग्रा0वि0 - 4(6)/अभि- 01- 31/2011 पार्ट-1

प्रेषक,

अजय कुमार सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त -सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
(बांका, बक्सर, पूर्णियां, सीवान, दरभंगा एवं अरवल जिला को छोड़कर) ।

विषय:- जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (प्रशासन) योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए व्यय हेतु विमुक्त केन्द्रांश अतिरिक्त राशि का देय अनुपातिक सहायक अनुदान की राशि का आवंटन ।

प्रसंग :- विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या - 122450 दिनांक 14.09.12 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संदर्भ में कहना है कि जिला ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक आर.- 17014/38/2011-12 डी.आर.डी.ए. (क्रमांक-233) दिनांक 30.03.12 द्वारा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (प्रशासन) योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए निम्नलिखित जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों, को केन्द्रांश (अतिरिक्त राशि) के रूप में कुल 1086.52 लाख (दस करोड़ छियासी लाख बावन हजार) रुपये विमुक्त की गई है ।

जिसका अनुपातिक सहायक अनुदान की कुल राशि 362.173 लाख (तीन करोड़ बासठ लाख सत्तरह हजार तीन सौ) रुपये निम्नलिखित जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को उनके नाम के सामने अंकित कॉलम 5 के अनुसार आवंटित की जाती है ।

रुपये लाख में

क्र.सं.	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का नाम	वर्ष 2011-12 में विमुक्त केन्द्रांश की अतिरिक्त राशि	वर्ष 2011-12 में अनुपातिक सहायक अनुदान की अतिरिक्त राशि	कुल आवंटित राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	अररिया	30.67	10.223	10.223	
2	औरंगाबाद	34.98	11.660	11.660	
3	बेगूसराय	36.06	12.020	12.020	
4	भभुआ	34.98	11.660	11.660	
5	भागलपुर	36.06	12.020	12.020	
6	भोजपुर	34.98	11.660	11.660	
7	सारण	36.06	12.020	12.020	
8	पूर्वी चम्पारण	36.06	12.020	12.020	
9	गया	36.06	12.020	12.020	
10	गोपालगंज	34.98	11.660	11.660	
11	जहानाबाद	30.67	10.223	10.223	
12	जमुई	30.67	10.223	10.223	

1	2	3	4	5	6
13	कटिहार	36.06	12.020	12.020	
14	खगडिया	30.67	10.223	10.223	
15	किशनगंज	30.67	10.223	10.223	
16	लखीसराय	30.67	10.223	10.223	
17	मधेपुरा	34.98	11.660	11.660	
18	मधुबनी	36.06	12.020	12.020	
19	मुंगेर	30.67	10.223	10.223	
20	मुजफ्फरपुर	36.06	12.020	12.020	
21	नालंदा	36.06	12.020	12.020	
22	नवादा	34.98	11.660	11.660	
23	पटना	36.06	12.020	12.020	
24	रोहतास	36.06	12.020	12.020	
25	सहरसा	30.67	10.223	10.223	
26	समस्तीपुर	36.06	12.020	12.020	
27	शेखपुरा	30.67	10.223	10.223	
28	शिवहर	24.75	8.250	8.250	
29	सीतामढ़ी	36.06	12.020	12.020	
30	सुपौल	34.98	11.660	11.660	
31	वैशाली	36.05	12.016	12.016	
32	पश्चिम चम्पारण	36.05	12.016	12.016	
	कुल	1086.52	362.173	362.173	

(कुल आवंटित राशि - तीन करोड़ बासठ लाख सत्तरह हजार तीन सौ रूपये) मात्र

- यह आवंटन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-122450 दिनांक 14.09.12 द्वारा स्वीकृत राशि से किया गया है ।
- आवंटित राशि मांग संख्या- 42, मुख्य शीर्ष-2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, उप मुख्य शीर्ष-01-एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, लघु शीर्ष-101-जिला ग्राम विकास एजेंसियों को आर्थिक सहायता, उप शीर्ष-0103-स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना - डी.आर.डी.ए. प्रशासन विपत्र कोड संख्या- पी. 2501011010103 राज्य योजना स्कीम कोड- RUR-5374 विषय शीर्ष- 31 04 सहायक अनुदान वेतन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में विकलनीय होगा ।
- यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 में निहित निर्देश के अनुपालन में निर्गत किया जा रहा है । संचालित केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए एक मुश्त राशि की अग्रिम निकासी एवं व्ययन की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।
- प्रासंगिक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या द्वारा सभी संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त -सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित किया जा चुका है ।
- आवंटित राशि का व्यय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (प्रशासन) की मार्गदर्शिका में दिये गये निर्देशों एवं निकासी एवं व्यय के क्रम में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों/अनुदेशों एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 8593 दिनांक 27.11.07 की कंडिका-2

- में दिये गये निदेश के आलोक में प्रकीर्ण विपत्र (कोषागार फार्म संख्या-7) का उपयोग किया जाय ।
7. राशि की निकासी के संबंध में कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि तथा व्यय विवरणी प्रत्येक माह की 10 (दस) तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराई जाय ।
 8. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना तथा वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना को दी जा रही है ।

विश्वासभाजन

(अजय कुमार सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव

जापांक:- 124213 (आवे) ग्रा0वि0, पटना, दिनांक:- 27-03-12

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना/श्रीमती रेणुका कुमार, उप सचिव (डी.आर.डी.ए.) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली को उनके पत्रांक आर.- 17014/38/2011-12 डी.आर.डी.ए. (क्रमांक-233) दिनांक 30.03.12 के प्रसंग में/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/ सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी संबंधित जिला पदाधिकारी / सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/ सभी संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी / सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग / विशेष कार्य पदाधिकारी / संयुक्त निदेशक (पशुपालन) / प्रशाखा पदाधिकारी 6 एवं 10 / सांख्यिकी कोषांग, ग्रामीण विकास विभाग / कार्यवाहक सहायक को 10 अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव